

बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० - 26/14-15

1. परिचयात्मक :-

(क)	अंकेक्षित लेखा का नाम -	अंचल कार्यालय, राघोपुर (वैशाली)।
(ख)	अंकेक्षण का लेखावधि -	वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 तक।
(ग)	प्रशासी विभाग का नाम -	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
(घ)	अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल--	1. श्री मिन्हाज आलम - जिलाधिकारी, वैशाली 01.04.10 से 28.09.10 तक 2. श्रीधर सिंह - " " 29.09.10 से 13.02.11 तक। 3. श्री प्रेम सिंह मीणा - " " 14.02.11 से 31.03.12 तक।
(ङ)	अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल -	(i) श्री अजय कुमार सिन्हा - अंचलाधिकारी 01.04.10 से 12.2.11 तक (ii) श्री चन्द्रशेखर आजाद - " " 13.02.11 से 15.4.11 तक (iii) श्री अजय कुमार सिन्हा - " " 16.04.11 से 31.03.12 तक। (iv) श्री सुवंश कुमार - नाजीर 01.04.10 से 20.6.11 तक (v) श्री राम प्रवेश राय - नाजीर 21.06.11 से 31.03.12 तक।

(च)	अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम :-	(i) श्री राम प्रवेश राम, नाजीर (ii) श्री रामचन्द्र प्रसाद, लिपिक।
(छ)	अंकेक्षक का नाम -	(i) श्री गणेश प्रसाद रोहतगी, वं०अं० - 1 (ii) .. संजय कुमार, व०अं० - 2
(ज)	अंकेक्षक प्रारंभण तिथि -	09.01.13
(झ)	अंकेक्षण समाप्ति की तिथि -	17.12.13
(ञ)	अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस	46 कार्य दिवस
(ट)	अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची -	अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर अंकित हैं।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र :-

- (i) अंकेक्षण का प्रकार - सामान्य अंकेक्षण
- (ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश सं० एवं तिथि - झापांक 3286 दि० 16.9.60 एवं कार्यालय आदेश सं० 145 दि० 18.9.12
- (iii) कार्यालय का कार्य क्षेत्र - कार्यालय आदेश सं० 145 दि० 18.9.12 के निदेशानुसार अंकेक्षण में प्रस्तुत लेखा अभिलेखों के आधार पर इस लेखा का अंकेक्षण सम्पन्न किया गया। अंचल द्वारा भूधारियों से लगान वसूल करना, भूमि विवाद का निपटारा करना आपदा में राहत पहुँचाना आदि है।
- (iv) वित्तीय श्रोत - सरकार से प्राप्त आवंटन भू-लगान सैरात (जलकर, फलकर), जमीन नापी से प्राप्त राजस्व।

(v) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति -

जिला कोषागार, वैशाली (हाजीपुर) में जमा एवं निकासी की गयी राशियों का शत-प्रतिशत सत्यापन कोषागार पंजी से किया गया एवं सही पाया गया।

(vi) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति- महालेखाकार का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अनुपालन का प्रश्न ही नहीं उठा।

(vii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति - कोई अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अनुपालन की समीक्षा नहीं की जा सकी।

3. वित्तीय समीक्षा :-

(i) आवंटन की स्थिति में क्या आवंटन से अधिक की निकासी की गयी है -

आवंटन एवं व्यय विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ख' पर अंकित है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 10-11 एवं 11-12 में आवंटन से अधिक राशि का व्यय नहीं किया गया था। व्यय के पश्चात् परिशिष्ट 'ख' के बचत कॉलम में अंकित राशियों का प्रत्यार्पण नहीं किया गया था। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है इस ओर विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(ii) मांग एवं संग्रहण :-

अंचल कार्यालय राघोपुर, वैशाली के वर्ष 10-11 एवं 11-12 के मांग एवं संग्रहण विवरण के अवलोकन से ज्ञात होगा कि इस अंचल में 8 (आठ) राजस्व हल्का है जिससे राजस्व की वसूली की जाती है। वर्ष 10-11 एवं 11-12 में राजस्व की वसूली मांग का क्रमशः 7.65% एवं 10.45% ही किया गया था जिसका विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ग" पर अंकित है। मांग की अपेक्षा वसूली बहुत ही कम की गयी थी। राजस्व की बहुत कम वसूली राजस्व कर्मचारियों की अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता का घातक है। अतः राजस्व की कम वसूली की ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि भविष्य में अपेक्षित राजस्व की वसूली करायी जा सकें।

(iii) रोकड़ का भौतिक सत्यापन :-

अंकेक्षण प्रारम्भ तिथि 09.01.13 को विभागीय पत्रांक 503 दि० 29.01.76 के आलो कमे 'निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा रोकड़ का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया, क्यों कि सामान्य रोकड़ पुस्त एवं अन्य सहायक रोकड़ पुस्त दिनांक -20.10.12 तक ही संधारित या जिसका संवरण शेष रू० 1,07,18522.01 था दिनांक 14.3.13 को इस सम्बन्ध में नाजीर श्री राम प्रवेश राय पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी अंकेक्षण समापन तक नाजीर श्री राम कार्यालय/अंकेक्षण में उपस्थित नहीं हुये। अतः रोकड़ पुस्त की संधारित तिथि 20.10.12 के रोकड़ शेष की जाँच किया गया जिसकी स्थिति निम्नवत् थी :-

दिनांक 20.10.12 का संवरण शेष-1,07,18522.01 रोकड़ की भौतिक स्थिति निम्नवत् पायी गया-

(वैंक विवरणी एवं पासबुक के आधार पर)

बैंक - स्टेट बैंक हाजीपुर 011041920177	—	20,28,454.00
.. .. बजार समिति (खाता सं० अंकित नहीं)	—	3,325.00
ग्रामीण बैंक, फतेहपुर — 17	—	2769.64
बैंक ऑफ बड़ौदा हाजीपुर — 100580	—	23,072.00
सेन्ट्रल बैंक सस्तमपुर — 10	—	3056.00
सेन्ट्रल बैंक सस्तमपुर — 2395964039	—	8,39,211.00
योग	—	28,99887.64
अग्रिम पंजी के अनुसार	—	17,77,703.73
दि० 20.10.12 को अग्रि०		
अभिश्चव पंजी के अनुसार	—	58,61,481.21
दि० 20.10.12 को		
योग	—	1,05,39,072.58

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि $(1,07,18522.01 - 1,05,39072 = 58)$ 1,79,449.43 नगद रूप में नाजीर के पास होना चाहिए। इसके अलावा प्रखण्ड विकास कार्यालय से तृण के रूप में अग्नि राहत मद में दि० 31.5.07 को प्राप्त राशि रू० 7,00,000.00 अंचल कार्यालय के चेक सं० 054420 द्वारा दि० 8.7.10 द्वारा लौटाया गया था जिसका भुगतान उक्त तिथि तक प्रखण्ड विकास कार्यालय, राघोपुर को बैंक से प्राप्त नहीं था। इस प्रकार स्टेट बैंक, हाजीपुर में वास्तविक जमा राशि $(20,28,454.00 - 700000.00)$ 13,28,454.00 था। इस प्रकार श्री राम प्रवेश राय, नाजीर द्वारा कुल $700000.00 + 1,79,449.43 = 8,79,449.43$ के गबन की सम्भावना है। वर्ष 12-13 का विशेष अंकेक्षण अथवा जाँच कराने के पश्चात ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है अतः प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।

(iv) दिनांक 01.04.10 का प्रारम्भण शेष रू० 55,74286.20 था।

जिसकी विवरणी निम्नवत् थी :-

1.	शीर्ष 2029 भू-राजस्व	48,274.41
2.	.. 0029 भू-लगान	9,04,006.50
3.	.. 2245 आपदा	23,68,884.28
4.	.. 8235 आपादा (सुखाड़)	1,71,220.00
5.	.. 314 समुदायिक विकास	6410.12
6.	.. 2015 निर्वाचन	1,16,638.22
7.	.. 504 कैम्पस	3,242.35
8.	.. 2055 ग्रामीण पुलिस	10598.00
9.	.. विविध	53,08.00
10.	.. 2235 समाजिक सुरक्षा	2,44,948.00
11.	.. " "	40,123.30
12.	.. 0210 स्वास्थ्य	14,327.10
13.	सूद	2,00,540.00
14.	2245 आपदा (अग्नि)	14,22,418.37

15.	2015 पंचायत	17,347.05
-----	-------------	-----------

योग — 55,74,286.20

प्रारम्भण शेष की भौतिक स्थिति —

1.	स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया बजार समिति, पटना सिटी	3325.00
2.	स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया, हाजीपुर 011041920177	34,41,275.00
3.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया, रुस्तमपुर 1221	7,06,332.00
4.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया रुस्तमपुर खाता-10	3056.00
5.	„ बैंक ऑफ बैडौदा, हाजीपुर 10058	23,128.00
6.	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक फतेहपुर 17	<u>2769.64</u> 41,79,885.64
7.	अग्रिम	16,89,703.73
8.	अभिश्चव	25,82,195.61

84,51,784.98

चेक जिसकी बैंक से निकासी नहीं (-) 28,77,283.00

55,74,501.98

अभुगतित अभिश्चव (-) 215.78

55,74,286.20

दिनांक 31.03.11 का संवरण शेष रू0 68,58374.10 था। जिसका विवरण निम्नवत् था—

1.	शीर्ष 2029 भू-राजस्व	48,275.01
2.	„ 0029 भू-लगान	10,87937.70
3.	„ 2245 आपदा (बाढ़)	15,98122.03
4.	„ 8235 आपदा (सुखाड़)	1,71,220.00
5.	„ 314 समुदायिक विकास	6410.12
6.	„ 2015 निर्वाचन	1,16,638.22
7.	„ 504 कैम्पस	3242.35
8.	„ 2055 ग्रामीण पुलिस	10,598.00
9.	„ विविध	5308.05
10.	„ 2235 समाजिक सुरक्षा	2,44,948.00
11.	„ „ „	40123.30
12.	„ 0210 स्वास्थ्य	0.90
13.	सूद	2,00,540.00
14.	2245 आपदा (अग्नि)	33,07,663.37
15.	2015 पंचायत	17,347.05

68,58374.10

संवरण शेष की भौतिक स्थिति —

1.	भारतीय स्टेट बैंक बजार समिति, पटना सिटी	3325.00
2.	भारतीय स्टेट बैंक हाजीपुर 001104920177	30,05,911.00
3.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया रुस्तमपुर 1221	11,49,667.00
4.	सेन्ट्रल बैंक रुस्तमपुर—10	3056.00
5.	बैंक ऑफ बगौदा हाजीपुर 10058	23072.00

6.	ग्रामीण बैंक फतेहपुर-17	2769.64
----	-------------------------	---------

41,87,800.64

अग्रिम — 17,05,703.73

अभिश्चव — 25,14,969.71

.02

84,08,474.10

चेक जिसका बैंक से भुगतान प्राप्त नहीं (-) 1550100.00

6,85,8374.10

दिनांक-31.03.12 को संवरण शेष रू0 2,34,76,838 .44 था जिसका विवरण निम्नवत् था :-

1.	शीर्ष 2029 भू-राजस्व	48,275.01
2.	„ 0029 भू-लगान	10,09,232.38
3.	„ 2245 आपदा (बाढ़)	1,83,69,580.19
4.	„ „ (अग्नि)	32,33,375.37
5.	8235 आपदा (सुखाड़)	1,71,220.00
6.	314 समुदायिक विकास	6410.12
7.	2015 निर्वाचन	1,16,638.22
8.	504 कैम्पस	3242.35
9.	2055 ग्रामीण पुलिस	10,598.00
10.	2235 समाजिक सुरक्षा	2,44,948.00
11.	0210 स्वास्थ्य	0.40
12.	2215 पंचायत	17,347.05
13.	सूद	2,00,540.00
14.	विविध	5308.05

15.	2235 समाजिक सुरक्षा (परिवार नियोजन लाभ)	40,123.30
-----	--	-----------

2,34,76,838.44

संवरण शेष की भौतिक स्थिति -

1.	भारतीय स्टेट बैंक, हाजीपुर 001104920177	32,50,754.00
2.	भारतीय स्टेट बैंक, बाजार समिति पटना सिटी	3325.00
3.	ग्रामीण बैंक फतेहपुर 17	2769.64
4.	बैंक ऑफ बडौदा हाजीपुर 10058	23072.00
5.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया 1221	8,24,211.00
6.	सेन्ट्रल बैंक A/C-10	3056.00
7.	अग्रिम	1,48,38,428.73
8.	अभिश्रव	52,31,116.21

2,41,76,732.58

9. नगद — 105.86

2,41,76,838.44

प्र0वि0पदा0 के दिया गया चेक सं0 (-) 700000.00

का भुगतान प्राप्त नहीं किया गया **2,34,76,838.44**

उपरोक्त संवरण शेष के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व से चले आ रहे अग्रिम का समायोजन नहीं किया जा रहा था एवं एक बड़ी राशि रु0 52,31,116.21 अभिश्रवों के रूप में पड़ी थी अर्थात् दूसरे मदों की राशि का विचलन कर व्यय किया गया था इस बिन्दु पर प्रशासी विभाग एवं नियंत्री पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

4. अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पद की विवरणी।

पदनाम	स्वीकृत पद सं०	कार्यरत सं०	रिक्त पदों की सं०
अंचलाधिकारी	1	1	X
अंचल निरीक्षक	1	X	1
राजस्व कर्मचारी	9	8	1
कार्यालय लिपिक	8	6	2
पदचर	5	3	2
अमीन	1	X	1
चालक	1	X	1

रिक्त पदों को भरने हेतु प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

भाग -2

कड़िका -5 बैंक से प्राप्त सूद की राशि रु० 53,216.00 का गबन :-

वर्ष 10-11 एवं 11-12 की/सहायक रोकड़ पुस्तों की जाँच में पाया गया कि दि० 12.9.08 के बाद बैंक से प्राप्त सूद की राशि की प्रविष्टि नहीं की गयी थी। (अंचल कार्यालय, राघोपुर के नाम से साधारित छः खाते थे जिसमें चार खातों से कोई लेने-देने वर्षों से नहीं किया जा रहा था। शेष दो खातों में एक भारतीय स्टेट बैंक हाजीपुर में चालू खाता सं० 11041920177 था जिसमें सूद प्राप्त नहीं होता था। एक खाता सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया, रूस्तमपुर में खाता सं० 2395964039 था जिससे सूद प्राप्त होता था। सहायक रोकड़ पुस्त में दि०-3.3.09 को दिनांक-12.9.08 तक सूद के रूप में प्राप्त राशि अंकित की गयी थी उसके बाद अद्यतन तक प्राप्त सूद की राशि की प्रविष्टि नहीं की गयी थी। इस सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति में बताया गया की सम्बन्धित नाजिर से स्थिति स्पष्ट करायी जा रही हैं) बैंक पास बुक एवं विवरणी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वर्ष 10-11 एवं 11-12 में निम्न प्रकार सूद प्राप्त हुआ था।

बैंक का नाम एवं खाता सं०	प्राप्त सूद की राशि	दिनांक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया	10,231.00	1.4.10
रुस्तमपुर राघोपुर खाता सं० — 2395964039	13,296.00	7.1.11
	10,282.00	31.5.11
	19407.00	30.11.11

कुल योग — 53,216.00

इस प्रकार अंकक्षित अवधि में प्राप्त सूद की राशि रू० 53,216.00 रोकड़ पुस्त में प्राप्ति अंकित नहीं किया गया था फिर भी दिनांक 31.3.12 के संवरण शेष के विस्तृत विवरण में दिनांक 31.3.12 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया में 8,24,211.00 दिखाया गया था जबकि इस राशि में उक्त सूद की राशि 53,216.00 एवं 12.9.08 से 31.3.10 के बीच प्राप्त सूद की राशि भी सम्मिलित थी। रोकड़ शेष के विस्तृत विवरण में प्राप्त सूद की राशि घटाकर दिखाया जाना चाहिए था या सूद की रोकड़ पुस्त में सूद की राशि की प्रविष्ट की जानी चाहिए थी, जिससे सूद की सहायक रोकड़ पुस्त का संवरण शेष एवं सामान्य रोकड़ पुस्त का संवरण शेष बढ़ जाता तब बैंक खाते की कुल जमा शेष राशि को संवरण शेष के विस्तृत विवरण में दिखाया जाना चाहिए था। ऐसा न कर बैंक खाते में सूद सहित राशि 8,24,211.00 को बैंक जमा के विवरण में दिखाकर प्राप्त बैंक सूद की राशि रू० 53216 एवं पूर्व में प्राप्त सूद की राशि का स्पष्ट गबन किया गया था।

अतः वर्ष 10-11 एवं 11-12 में बैंक से प्राप्त सूद की राशि रू० 53,216.00 एवं पूर्व के वर्षों में तथा 31.3.12 के बाद प्राप्त बैंक सूद की राशि की जाँच कर गबन के लिए दोषी व्यक्तियों पर आवश्यक कार्रवाई कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

कंडिका —6 राजस्व की राशि रू० 1000.00 रैयत से कम वसूली कि गयी राशि वसूली योग्य।

राजस्व हल्का सं० 3 के लगान वसूली की जाँच क्रम में पाया गया कि वर्ष 11-12 में मालगुजारी रसीद सं० 540368 रैयत श्री महावीर राय मैजा रुस्तमपुर एवं जमा बन्दी सं० 555 था। कुल लगान की राशि रू० 7219.40 थी। बकाया मॉग की राशि वास्तविक जोड़ 6944.50 के

स्थान पर बकाया का योग 5944.50 अंकित किया गया था तथा वर्ष 11-12 का मांग 274.90 था इस प्रकार कुल योग शुद्ध रूप से 7219.40 होता था जबकि कुल योग 6219.40 अंकित कर लगान वसूली की गयी थी जिसका विवरणी निम्नवत् है :-

मांग बावत	बकाया लगान की राशि	वर्ष 11-12 में लगान की राशि	लगान की कुल राशि	अन्तर/कम जाड़ी गयी राशि
लगान	2877.00	112.00		
रोड़ सेस	701.25	28.05		
शिक्षा सेस	1402.50	56.10		
स्वा0 सेस	1402.50	56.10		
कृषि सेस	561.25	22.45		
अंकित योग	5944.50	274.90	6219.40	
शुद्ध योग	6944.50	274.90	7219.40	1000.00

अतः उपर्युक्त विवरणी के अनुसार जोड़ में हुई अशुद्धि के कारण कम वसूली गयी राशि संबंधित व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

कंडिका (7) वास्तविक राशि से रू0 30.00 कम राजस्व वसूली अंकित राशि वसूली योग्य -

राजस्व वसूली की जाँच में पाया गया कि हल्का सं0 4 की मालगुजारी रसीद सं0 541778 पर श्री शमिन्द्र राम जमा बन्दी सं0 110 के नाम से रू0 255.85 दिनांक 13.03.12 को अंकित था परन्तु पंजी IIIA पर रू0 225.85 ही अंकित किया गया था। उक्त तिथि को IIIA पंजी का दैनिक योग रू0 225.85 के आधार पर 1125.50 था जबकि उक्त रसीद की वास्तविक राशि रू0 255.85 के आधार पर रू0 1155.50 होना चाहिए था। स्पष्ट है कि रू0 30.00 (255.85-225.85) पंजी IIIA में कम अंकित किया गया।

इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में कहा गया कि संबंधित कर्मचारी से वसूली की कार्रवाई की जा रही है। स्पष्ट है कि रू० 30.00 पंजी IIIA में कम लाया गया जो वसूली योग्य है।

अतः संबंधित कर्मचारी से रू० 30.00 वसूलकर कोषागार में जमा किया जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

कंडिका (8) अभिश्रव की राशि के रू० 350.00 अधिक भुगतान, वसूली योग्य।

शीर्ष 2245 आपदा (अग्नि राहत) के वर्ष 10-11 के आकस्मिक व्यय के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि अभिश्रव सं० 59/10-11 जो कुल रू० 23,650.00 का ही था, जिसे रू० 24,000.00 पारित कर मे० तवई एण्ड कारु साउन्ड सर्विस, पूर्वीघाट चोंदपुर, श्रीरामपुर को दिनांक 8.07.10 को भुगतान किया गया था, जिसका विवरण नीचे अंकित है।

क्र०	सामग्री का विवरण	मूल्य	विपत्र सं०	भुगतान तिथि
1	जेनरेटर सेट-1@1550 3 दिनों के लिए 1550x3	4650.00	07,08 / 10-11	8.07.10
2.	सामियाना बड़ा-4 पीस @1250.00 तीन दिनों हेतु (4x1250x3)	15000.00	"	"
3.	टेन्ट 6 पीस@ 200 / 3 दिनों के लिए (6x200x3)	3600.00	"	"
4.	सामान लाने ले जाने का भाड़ा	400.00	"	"

कुल योग - 23,650.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अभिश्रव की कुल राशि रु0 23,650 ही था जिसे पारित कर अनियमित रूप से रु0 24,000 भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में कहा गया कि वसूली की कारवाई की जा रही है।

अतः रु0 350.00 (24000-23650) अधिक भुगतान की गई राशि संबंधित/उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली कर कोषागार में जमा किया जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

कंडिका सं0 (9) कुल रु0 1,85,491.40 को व्यय से संबंधित अभिश्रव अप्रस्तुत राशि आपत्तिअन्तर्गत।

आकस्मिक व्यय से संबंधित अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि शीर्ष 2029 भू-राजस्व के कुल रु0 1,85,491.40 को अभिश्रव जिसका विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "घ" पर अंकित है अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्यय की औचित्यता की जाँच नहीं हो सकी। इस संबंध में निर्गत अंकेक्षण आपत्ति के अनुपालन में उत्तर दिया गया कि अभिश्रव उपलब्ध हो जाने पर सूचित कर जो अनुपालन संतोषजनक नहीं था।

अतः उपरोक्त "घ" में अंकित अभिश्रवों द्वारा व्यय की जाँच पड़ताल विभागीय पदाधिकारियों से कराकर वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत कराया जाय कुल य0 1,85,491.40 के व्यय की राशि आपत्तिअन्तर्गत रखा जाता है।

कंडिका सं0 (10) असमायोजित अग्रिम रु0 1,37,750.00 समायोजन हेतु लम्बित।

अग्रिम पंजी एवं अग्रिम रोकड़ पुस्त की जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 10-11 एवं 11-12 में विभिन्न व्यक्तियों/कर्मचारियों को विभिन्न कार्य हेतु विभिन्न तिथियों को कुल रु0 33,32,500 अस्थायी अग्रिम किया गया था, जिसके विरुद्ध रु0 32,14,750 समायोजन के उपरान्त भी अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक रूपया 1,37,750.00 समायोजन नहीं किया गया था जिसकी विवरणी अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ङ" पर अंकित है, दिनांक-1.4.10 के पूर्व से आ रही अग्रिम की राशि 16,89,703.73 असमायोजित थी। पूर्व के रोकड़ पुस्त के अवलोकन से ज्ञात होता है कि यह अग्रिम राशि वर्षों से बढ़ते क्रम में आ रहा है। वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं

2011-12 में दिये गये अग्रिम का समायोजन किया गया था लेकिन 1.4.2010 के पूर्व से लम्बित अग्रिम का समायोजन/वसूली की कार्यवाई नहीं की गई।

इस संबंध में आपत्ति निर्गत की गई थी जिसके अनुपालन में बताया कि अग्रिम समायोजन की कार्यवाई की जा रही है। स्पष्ट है कि पूर्व में अग्रिम समायोजन/वसूली हेतु कोई कार्यवाई नहीं की गई।

अतः अग्रिम प्राप्तकर्ता से अग्रिम की राशि का अभिश्रव या नकद राशि लेकर अग्रिम समायोजन की कार्यवाई की जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

कंडिका 11 अग्नि राहत में भुगतान रू0 20,250.00 आपत्तिर्न्तगत -

शीर्ष 2245 आपदा (अग्नि राहत) के अभिश्रव की जाँच में पाया गया कि कुछ अभिश्रवों पर प्राप्तकर्ता की प्राप्ति रसीद एवं जन प्रतिनिधि-मुखिया, वार्ड पार्षद आदि के समक्ष वितरण के प्रमाण में हस्ताक्षर नहीं पाया गया। नियमतः बिना प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर वाले अभिश्रवों को पारित नहीं किया जाना चाहिए था फिर भी अभिश्रवों को पारित कर भुगतान अंकित कर दिया गया था जिसका विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट "च" पर अंकित है। भुगतान अंकित की गयी उक्त राशि रू0 20,250 की जाँच पड़ताल कर वस्तुस्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय तबतक इसे आपत्तिर्न्तग रखा जाता है। आपत्ति का निराकरण नहीं होने पर राशि वसूली योग्य होगी।

कंडिका 12 अग्नि काण्ड हेतु जेनरेटर, सामियाना आदि पर किया गया व्यय रू0 65000.00 को नियमित करने का सुझाव :-

शीर्ष 2245 आपदा (अग्नि राहत) के की जाँच में पाया गया कि कुछ अभिश्रव जो कि अग्नि काण्ड हेतु जेनरेटर, सामियाना आदि लगाने का था, पारित कर भुगतान किया गया था। जबकि शीर्ष 2245 अग्नि राहत में नगद अनुदान/खाद्दान अनुदान, क्षतिग्रस्त मकान मरम्माति अनुदान एवं कृषि राहत अनुदान मद में ही आवंटन प्राप्त था फिर भी अकास्मिकता मद के अभिश्रवों का भुगतान इसी मद से कर दिया गया जो नियम विरुद्ध था। जिसकी विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट "छ" पर अंकित है।

अकास्मिकता मद में अलग से आवंटन प्राप्त कर भुगतान किया जाना चाहिए था। जेनरेटर/सामियाना हेतु किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश/स्वीकृत्यादेश भी प्राप्त नहीं किया गया था।

अतः अकास्मिकता मद में अलग से आवंटन प्राप्त कर भुगतान की गयी राशि रू0 65000.00 का समंजन किया जाये एवं परिणाम से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

कंडिका-13 रू0 52,31,116.21 विचलन कर व्यय की गयी राशि नियमित करने का सुझाव -

सामान्य रोकड़ पुस्त के जॉच में पाया गया कि दिनांक 31.03.12 को संवरण शेष की राशि रू0 2,34,76838.44 थी। संवरण शेष की भौतिक स्थिति निम्नवत् अंकित थी :-

विभिन्न बैंको में जमा -	34,07,187.64
अग्रिम के रूप में -	1,48,38,428.73
अभिश्चव के रूप में -	52,31,116.21
नगद रूप में -	<u>105.86</u>
योग -	2,34,76,838.44

उपरोक्त विवरणी में अंकित अभिश्चव कुल रू0 52,31,116.21 अंकेक्षणावधि तक दूसरे मद की राशि का विचलन कर व्यय की गयी थी दूसरे मद की राशि का विचलन कर व्यय किया जाना घोर वित्तीय अनियमता है। विचलन कर एक बड़ी राशि रू0 52,31,116.21 के व्यय किये जाने की ओर प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है साथ ही आवंटन प्राप्त कर विचलन की राशि को नियमित किया जाय उक्त कृत कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

कंडिका-14 राशि रू0 58,873.01 कोषागार में जमा अव्यवहत करने का सुझाव -

- (क) शीर्ष 2029 भू राजस्व के सहायक रोकड़ पुस्त की जॉच में पाया गया कि रू0 48275.01 (48274.41 वेतन मद में एवं रू0 00.60 अकास्मिकता मद का) वर्ष 06-07 के पूर्व से ही

अव्ययवहत रूप से चली आ रही थी। अतः भुगतान नहीं होने पर उपरोक्त राशि रु0 48275.01 कोषागार में जमा किया जाय।

- (ख) शीर्ष 2055 ग्रामीण पुलिस सहायक रोकड़ पुस्त की जाँच में पाया गया कि वेतन मद की राशि रु0 10598.00 वर्ष 04-05 से ही अव्ययवहत रूप से संवरण शेष के रूप में चला आ रहा है। उपरोक्त राशि रु0 10,598.00 उपरोक्त राशि भुगतान योग्य नहीं है तो इसे तत्काल कोषागार में जमा किया जाय।

बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियमानुसार वेतन मद की राशि तीन माह तक किसी कारण से भुगतान नहीं होता है तो इसे पुनः कोषागार के संबंधित शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन उपरोक्त क्रमांक (क) एवं (ख) में उपरोक्त नियमानुसार जमा नहीं किया गया जो आपत्तिजनक है।

अतः रु0 58873.01 (48275.01+10598.00) कोषागार में यथाशीघ्र जमा किया जाय एवं वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

कंडिका-15 भू-राजस्व की राशि रु0 9,09,232.38 कोषागार में जमा नहीं किया जाना कोषागार में जमा करने का सुझाव :-

शीर्ष 0029 भू-लगान की सहायक रोकड़ पुस्त जाँच में पाया गया कि दि0 1.4.10 को प्रारम्भण शेष रु0 9,04,006.50 था जो निम्न मद लगान 5,30,401.10 विविध 3,66,804.20 एवं सूद 6801.20 का था। यह राशि अंकेक्षित अवधि के पूर्व से चली आ रही थी जिसे अंकेक्षण समाप्ति तक कोषागार में जमा नहीं किया गया था इस राशि में रु0 5,30,401.00 दिनांक-21.06.06 को गुरु गोविन्द सिंह घाट बन्दोवस्ती द्वारा प्राप्त किया गया था शेष राशि वर्ष 06-07 के पूर्व से ही चली आ रही थी यह राशि दि0 31.3.12 तक रु0 9,09,232.38 हो गयी थी जिसका विवरण निम्नांकित है।

- | | | | |
|----|--|---|-------------|
| 1. | 31.03.10 का संवरण शेष | — | 9,04,006.50 |
| 2. | वर्ष 10-11 एवं 11-12 की राशि— नापी शुल्क | — | 5225.00 |

जो कोषागार में जमा नहीं किया

9,09,232.38

इस प्रकार भू लगान की कुल राशि 9,09,232.38 कोषागार में जमा नहीं किया गया था। राजस्व प्राप्ति की राशि कोषागार में जमा नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः प्रशासी विभाग/नियंत्री पदाधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। भू-लगान की कुल राशि रु0 9,09,232.38 शीघ्र ही कोषागार में जमा कराकर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय। एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए प्रभारी कार्रवाई की जाय।

कंडिका-16 राहत कार्य में प्रयुक्त गाड़ी एवं खाद्यान की दुलाई भाड़ा के रूप में विचलन कर व्यय राशि रु0 38,900.00 विनियमित करने का सुझाव :-

शीर्ष 2245 (अग्नि राहत) के वर्ष 10-11 में व्यय से संबंधित अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि अग्निकाण्ड में बचाव एवं राहत कार्य में संलग्न गाड़ी का भाड़ा एवं खाद्यान्न दुलाई की अभिश्रवों का भुगतान किया गया था आपदा (अग्नि राहत) में नकद अनुदान, खाद्यान्न अनुदान, छतिग्रस्त मकान मरम्मत अनुदान एवं कृषि अनुदान में ही आवंटन प्राप्त था। जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ज" पर अंकित है, जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि शीर्ष 2245 (अग्नि राहत) के आकस्मिकता मद में कोई आवंटन प्राप्त नहीं था फिर भी गाड़ी भाड़ा एवं दुलाई भाड़ा आकस्मिकता मद से कर दिया गया जो नियम विरुद्ध है। इस अभिश्रवों को भुगतान हेतु किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश भी प्राप्त नहीं था।

अतः अलग से आकस्मिकता मद में आवंटन प्राप्त कर इसे विनियमित किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दिया जाय।

भाग - 3

कंडिका-17 सूद की राशि रु0 2,00,540.00 कोषागार में जमा करने का सुझाव -

सहायक रोकड़ पुस्त सूद की जाँच में पाया गया कि दि0 31.3.12 को संवरण शेष रु0 2,00,540.00 था जो वर्षों पूर्व से आ रहा था जबकि सूद की राशि को सम्बन्धित शीर्षों के

अन्तर्गत कोषागार में जमा कर दिया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में सूद की राशि का विचलन कर दूसरे मदों में व्यय की भी आशंका है।

अतः प्रशासी विभाग के संबंधित पदाधिकारी का विशेष ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। सूद की राशि रु0 2,00,540.00 शीघ्र ही कोषागार में जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

कंडिका-18 अक्रियाशील बैंक खातों को बन्द करने का सुझाव :-

सामान्य रोकड़ पुस्त के की जाँच में पाया गया कि अंचल कार्यालय, राघोपुर में कुल छः (6) बैंक खाते में जिसमें से सिर्फ दो ही खातों से लेन-देन किया जा रहा था। शेष खातों में वर्षों से कोई लेन देन नहीं हुआ था, जिसकी स्थिति निम्नवत् है :-

क्र0	बैंक नाम एवं पता	खाता सं0	दि0-31.3.10 का शेष	अद्यतन शेष	अभ्युक्ति
1.	स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया बाजार समिति, पटना सिटी	अंकित नहीं	3325.00	3325.00	दिनांक 31.3.10 के पूर्व के वर्षों
2.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया रूस्तमपुर, राघोपुर	10	3056.00	3056.00	पहले से खाता निष्क्रिय
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा हाजीपुर	100580	23,072.00	23072.00	..
4.	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक फतेहपुर, राघोपुर	17	2769.64	2769.64.00	..
		योग -	32,222.64	32,222.64	

इस प्रकार रु0 32,222.64 की राशि वर्षों से बैंकों में अवरूद्ध पायी गयी है। अतः बैंक खातों को अद्यतन कराकर निष्क्रिय बैंक खातों को बन्द कर दिया जाये एवं सम्बन्धित बैंक खाते ही राशि को दूसरे बैंक में स्थानांतरित किया जाय, एवं राशि को सम्बन्धित विभाग में वापस किया जाय या कोषागार में जमा किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

कंडिका-19 रोकड़ पुस्तों की अव्यवहत राशि एवं 3,60,289.44 कोषागार में जमा कर करने का सुझाव —

सुझाव रोकड़ पुस्तों का जॉच में पाया गया कि कई सहायक रोकड़ पुस्तों में वर्षों से कोई लेन-देन नहीं हुआ था। व्यवहार नहीं हो रहे शीर्षों में शेष सहायक रोकड़ पुस्तों में शेष राशि शीघ्र ही कोषागार में जमा कर वित्त (अं०) विभाग को सूचित किया जाय। जिसका विवरण इस प्रकार है :-

क्र०	सहायक रोकड़ पुस्त का शीर्ष	आय-व्यय बन्द होने की तिथि	निष्क्रिय होने की तिथि के शेष	अद्यतन् शेष
1.	2015 (क) पंचायत चुनाव	13.12.06	17,347.05	17347.05
2.	2015 लोक सभा निर्वाचन	09.09.06	1,16,638.22	1,16,638.22
3.	2035 परिवारिक लाभ	12.02.09	40,123.30	40,123.30
4.	504 कैम्पस	30.03.85	3242.25	3242.25
5.	विविध	01.12.08	5308.50	5308.50
6.	2235 सहाय (सुखाड़ योजना)	06.08.03	1,71,220.00	1,71,220.00
7.	314 समुदायिक विकास	09.09.06	6410.12	6410.12
			3,60,289.44	3,60,289.44

कंडिका-20 सूचना का अधिकार सम्बन्धि एवं कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग हेतु सम्पत्तिवर्तन सम्बन्धि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना।

(क) सहायक रोकड़ पुस्तों की जॉच में पाया गया कि वर्ष 10-11 एवं 11-12 में सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु शुल्क की राशि किसी भी सहायक रोकड़ पुस्त में अंकित नहीं पायी गयी जबकि सूचना के अधिकार सम्बन्धित कार्य अधीनियम लागू होने के उपरान्त भी रोकड़ पुस्त अद्यतन् नहीं पाया गया। इस सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति में कहा गया कि सम्बन्धित लिपिक से इस सम्बन्ध में पृच्छा की जा रही है। उत्तर संतोष जनक नहीं था। अतः शीघ्र ही इस सम्बन्ध में जॉच की जाये एवं शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को कोषागार में जमा कराया जाये। इसमें गबन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

(ख) कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग सम्परिवर्तन अधिनियम 2010 एवं 2011 की धारा 3 एवं 4 के आलोक में ही किया जाना है। कृषि भूमि का गैर कृषि कार्य हेतु सम्परिवर्तन बाजार मूल्य के 10% राशि शुल्क के रूप में सक्षम पदाधिकारी (अनुमण्डल पदाधिकारी) द्वारा किया जाना है उक्त अधिनियम के आलोक में कोई भी सम्परिवर्तन अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। निर्गत आपत्ति में बताया गया कार्रवाई की जा रही है उत्तर संतोष जनक नहीं है। कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग होने पर भी सम्परिवर्तन नहीं किये जाने से इनकार को शुल्क राशि की क्षति हो रही है।

अतः कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग अवैध रूप से किये गये को अंचल निरीक्षक राजस्व कर्मचारियों द्वारा चिन्हित कर अधिनियम की धारा-7 के अनुसार कार्रवाई की जाये एवं सम्बन्धित व्यक्तियों से शुल्क एवं लगान की राशि वसूल की जाये।



उप लेखा नियंत्रक

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार, पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्ता का नाम एवं पदनाम

1. शिव नाथ कुमार प्रसाद, व0अं0-2

परिशिष्ट "क" कंडिका- 1 (ट) से सम्बन्धित।

प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची -

प्रस्तुत अभिलेख :-

1. विपत्र पंजी - वर्ष 10-11 एवं 11-12
2. सामान्य रोकड़ पुस्त - वर्ष 10-11 एवं 11-12
3. सहायक रोकड़ पुस्त शीर्ष 2029 भू-राजस्व - वर्ष 10-11 एवं 11-12
4. सहायक रोकड़ पुस्त शीर्ष 0029 भू-लगान - वर्ष 10-11 एवं 11-12
5. " " " शीर्ष 2245 आपदा (बाढ़) 10-11 एवं 11-12
6. " " " 8235 आपदा (अग्नि) 10-11 एवं 11-12
7. " " " 2015 निर्वाचन वर्ष 10-11 एवं 11-12
8. " " " 314 समुदायिक विकास वर्ष 10-11 एवं 11-12
9. " " " 2015 पंचायत वर्ष 10-11 एवं 11-12
10. " " " - विविध वर्ष 10-11 एवं 11-12
11. " " " 504 कैम्पस वर्ष 10-11 एवं 11-12
12. " " " 2055 ग्रामीण पुलिस वर्ष 10-11 एवं 11-12
13. " " " 2235 समाजिक सुरक्षा (शीत लहर) वर्ष 10-11 एवं 11-12
14. " " " 2035 समाजिक सुरक्षा (महिला) वर्ष 10-11 एवं 11-12
15. " " " 0210 स्वास्थ्य सेस वर्ष 10-11 एवं 11-12
16. सहायक रोकड़ पुस्त - सूद - वर्ष 10-11 एवं 11-12
17. वेतन भुगतान पंजी शीर्ष 2029 भू-राज वर्ष 10-11 एवं 11-12

18. वेतन भुगतान पंजी शीर्ष 2055 ग्रामीण पुलिस वर्ष 10-11 एवं 11-12
19. अग्रिम पंजी — वर्ष 10-11 एवं 11-12
20. अभिश्रव पंजी — वर्ष 10-11 एवं 11-12
21. सभी हल्का (1 से 8) की लगान वसुली रसीद

पंजी	— 3 ए वर्ष	10-11 एवं 11-12
पंजी	— 3 ए ए	
22. गुरु गोविन्द सिंह घाट सैरात पंजी
23. अभिश्रव आंशिक वर्ष 10-11 एवं 11-12
24. बैंक पासबुक / विवरणी।

परिशिष्ट — “क” कंडिका-1 (ट) से सम्बन्धित।

अप्रस्तुत अभिलेख :-

1. यात्रा भत्ता भुगतान पंजी वर्ष 10-11 एवं 11-12
2. यात्रा भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रति वर्ष 10-11 एवं 11-12
3. सेवा पुस्त
4. सूचना के अधिकार से सम्बन्धित अभिलेख
5. कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग सम्बन्धित अभिलेख
6. सैरात अभिलेख (एक को छोड़कर)
7. बैंक चेक पंजी
8. भंडार पुस्त।

परिशिष्ट - 'क'

कंडिका - 3 (i) से संबंधित।

आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष 10-11

क्र०	शीर्ष का नाम	मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	अभियुक्ति
1.	2029 (भू राजस्व)	वेतन एवं म० भत्ता	40,00,000. 00	35,96,785. 00	4,03,215. 00	—	प्रत्यापित नहीं किया गया
2.	"	वाहन	20,000.00	4,000.00	16,000. 00	—	" "
3.	"	कार्याल व्यय	15,000.00	3,000.00	12,000. 00	—	" "
4.	"	वर्दी	5,028.00	5028.00	—	—	
5.	"	यात्रा भत्ता	17,000.00	—	17,000. 00	—	प्रत्यापित नहीं किया गया
6.	2055 (ग्रामीण पुलिस)	वेतन एवं भत्ता	65,52,991. 00	63,38,368. 00	2,14,623. 00	—	" "
7.	2245 (आपदा)	राहत (वाढ़ एवं अग्नि)	29,48,578	29,48,578. 00	—	—	
8.	2235 (सामा० सुरक्षा)	शीतलहर वचाव	6,000	6,000	—	—	

परिशिष्ट – 'ख' कंडिका – 3 (i) से संबंधित।

आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष 11-12

क्र०	शीर्ष का नाम	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	अभियुक्ति
1.	2029 (भू राजस्व)	वेतन एवं भत्ता	45,00,000. 00	43,00,517. 00	1,99,483. 00	—	प्रत्यापित नहीं किया गया
2.	..	यात्रा भत्ता	19,000.00	18290.00	710.00	—	
3.	..	कार्यालय व्यय	15,000.00	15,000.00	—	—	—
4.	..	वाहन	20,000.00	20,000.00	—	—	—
5.	..	वर्दी	7,000.00	7,000.00	--	—	—
6.	2055 (ग्रामीण पुलिस)	वेतन एवं भत्ता	76,28,781. 00	76,22,404. 00	6377.00	—	प्रत्यापित नहीं किया गया।
7.	2245 (आपदा)	राहत (बाढ़ एवं अग्नि)	1,47,60,500 .00	1,47,60,50. 00	—	—	—
8.	2235 (सामाजिक सुरक्षा)	शीतलहर बचाव	28,600.00	28600.00	—	—	—

परिशिष्ट – "ग" कंडिका – 3 (ii) से सम्बन्धित

मांग एवं संग्रहण विवरणी वर्ष – 10-11

क्र०	मांग वर्ष 10-11				वसूली-वर्ष 10-11			मांग वर्ष- 11-12		
	मद	बकाया	हाल	योग	बकाया	हाल	योग	बकाया	हाल	योग
1.	लगान	34,33,359.95	2,99,094.	37,32,454.	2,66,030.30	16,109.10	2,82,139.	34,50,315.	2,99,094.	37,49,410.
			85	80			40	40	85	25
2.	सेस	8,58,339.95	74761.25	9,33,101.20	49,521.75	4027.30	53549.05	8,79,552.	74761.25	9,54,313.
								15		40
3.	शिक्षा	17,16,679.95	1,49,522.	18,66,202.	97969.20	8054.60	106023.	17,60,178.	1,49,522.	19,09,701.
	सेस		45	40			80	60	45	05
4.	कृषि	6,86,670.95	59,810.00	746480.95	44549.40	3222.30	47771.70	69,8709.25	59810.00	758519.25
	सेस									
5.	स्वास्थ्य	1716679.95	149522.	1866202.40	101623.95	8054.60	109678.	1756523.	149522.	1906046.
	सेस		45				55	85	45	30
6.	सैरात	—	44961.00	44961.00	—	44961.00	44961.00	—	44961.00	44961.00
	कुल	84,11,730.75	7,77,672.	9189402.75	559694.60	84428.90	6,44,123.	8545479.	777672.	9322951.
	योग —		00				50	25	00	25

वसूली का प्रतिशत – 7.65%

परिशिष्ट - "ग" प्रतिवेदन की कड़िका - 3 (ii) से सम्बन्धित

माँग एवं संग्रहण विवरणी वर्ष - 11-12

क्र0	माँग वर्ष 11-12				वसूली-वर्ष 11-12			माँग वर्ष- 12-13		
	मद	बकाया	हाल	योग	बकाया	हाल	योग	बकाया	हाल	योग
1.	लगान	3922563.	299094.	4221658.	352835.	38577.35	391413.	3830245.	299094.	4129340.
		85	85	70	80		15	55	85	40
2.	सेस	980640.90	74761.25	1055402.	63985.50	7157.60	71143.10	984259.05	74761.25	1059020.
				15						30
3.	शिक्षा	1961281.	149522.	21108045.	123490.	14152.80	137643.	1973160.	149522.	2122683.
	सेस	70	45	15	50		30	85	45	30
4.	कृषि	784512.90	59810.00	844322.90	51345.05	5652.95	56998.00	787324.90	59810.00	847134.90
	सेस									
5.	स्वास्थ्य	1961281.	149522.	2110804.	119348.	14135.90	133484.	1977320.	149522.	2126842.
	सेस	70	45	15	10		00	15	45	60
6.	सैरात	—	43651.00	43651.00	—	44961.00	44961.00	—	43651.00	43651.00
	कुल	9610281.	776362.	10386643.	710988.	293933.	1004921.	9552310.	776362.	10328672.
	योग -	05	00	05	05	50	55	50	00	50

वसूली का प्रतिशत - 10.45%

परिशिष्ट – “घ” कंडिका – 9 से संबंधित

शीर्ष 2029 भू राजस्व के विभिन्न मदों के अनुपलब्ध अभिश्रवों की विवरणी।

कुल रू0 1,85,491.40

क्र0	मद	विपत्र सं0 / वर्ष	अभिश्रव सं0 / वर्ष	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	भुगतीत राशि	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वर्दी	109 / 10-11	05 / 10-11	श्री देवी लाल भगत, श्री महेश प्र0 राय एवं मो0 नइम	5,028.00	31.3.11	
2.	वाहन	107 / 10-11	06 / 10-11	मे0 किसान इंधन खुदरा विक्रेता	1000.00	31.3.11	
			07 / 10-11	तदैव	1000.00	31.3.11	
			08 / 10-11	तदैव	1000.00	31.3.11	
			09 / 10-11	तदैव	1000.00	31.3.11	
3.	कार्यालय व्यय	108 / 10-11	10 / 10-11	मे0 प्रभात स्टेशनरी स्टोर्स	1000.00	31.3.11	
			11 / 10-11	तदैव	1100.00	31.3.11	
			12 / 10-11	तदैव	900.00	31.3.11	
4.	कार्यालय व्यय	111 / 10-11	01 / 10-11	श्री अजीत सिंह	329.70	31.3.11	
			02 / 10-11	मे0 वैशाली ऑटो सिडिकेट	495.00	31.3.11	

			03 / 10-11	तदैव	330.00	31.3.11	
			04 / 10-11	तदैव	330.00	31.3.11	
			05 / 10-11	तदैव	633.00	31.3.11	
			06 / 10-11	तदैव	660.00	31.3.11	
			07 / 10-11	तदैव	211.00	31.3.11	
			08 / 10-11	मे० बाबा टेन्ट हाउस	400.00	31.3.11	
			09 / 10-11	मे० भवानी किराना स्टोर्स	558.00	31.3.11	
			10 / 10-11	मे० सीटीटेन्ट हाउस	2075.00	31.3.11	
			11 / 10-11	मे० डेडी पापा मम्मी फोटो स्टेट	150.00	31.3.11	

C/F- 18199.70

			12 / 10-11	मे० डेडी पापा फोटो कॉपी	160.00	31.3.11	
			13 / 10-11	मे० संजीत डिजिटल स्टूडियो	558.00	31.3.11	
			14 / 10-11	श्री अच्छु पासवान मजदूर	67.00	31.3.11	
			15 / 10-11	श्री संजय पासवान	67.00	31.3.11	
			16 / 10-11	मे० शिवम फोटो वूथ	500.00	31.3.11	
			17 / 10-11	मे० श्री डिजिटल स्टूडियो	36.00	31.3.11	
			18 / 10-11	मे० नारायण स्टेशनरी	22.00	31.3.11	
			19 / 10-11	श्री धर्मेन्द्र राय मजदूरी	625.00	31.3.11	

			20/10-11	श्री - तदैव-	750.00	31.3.11	
			21/10-11	श्री धर्मेन्द्र राय, जीप भाड़ा	850.00	31.3.11	
			22/10-11	तदैव	1000.00	31.3.11	
			23/10-11	तदैव	850.00	31.3.11	
			24/10-11	तदैव	850.00	31.3.11	
			25/10-11	तदैव	750.00	31.3.11	
			26/10-11	तदैव	900.00	31.3.11	
			27/10-11	मे० मिश्रा बुक वाइडिंग	420.00	31.3.11	
			28/10-11	तदैव	368.00	31.3.11	
			29/10-11	मे० अजीत सिंह एण्ड सन्स	494.55	31.3.11	
			30/10-11	श्री राम बालक महतो ट्रक भाड़ा	1000.00	31.3.11	
			31/10-11	श्री अशोक राय, ट्रक भाड़ा	750.00	31.3.11	
			32/10-11	मे० वैशाली ऑटो सिडिकेट	495.00	31.3.11	
			33/10-11	तदैव	495.00	31.3.11	
			34/10-11	श्री राजदेव दास मजदूरी	1850.00	31.3.11	
			35/10-11	श्री सुधीर कुमार गुप्ता जीप भाड़ा	830.00	31.3.11	
			36/10-11	मे० करन मोटर्स जीप मरम्मती	1020.00	31.3.11	
			37/10-11	मे० विशाल रिवाल्टींग जीप मरम्मती	270.00	31.3.11	

		38/10-11	मे० वी० पी० पटना	232.40	31.3.11	
		39/10-11	मे० वैशाली ऑटो सिडिकेट	990.00	31.3.11	
		40/10-11	मे० रामजी टेन्ट हाउस	35,800.00	31.3.11	
		41/10-11	मे० व्यास टेन्ट हाउस	24204.00	31.3.11	
		42/10-11	मे० किसान इंधन खुदरा विक्रेता डीजल	530.00	31.3.11	
		43/10-11	तदैव	1060.00	31.3.11	
		44/10-11	तदैव	740.00	31.3.11	
		45/10-11	तदैव	795.00	31.3.11	
		46/10-11	तदैव	1060.00	31.3.11	
		47/10-11	तदैव	740.00	31.3.11	
		48/10-11	तदैव	530.00	31.3.11	
		49/10-11	तदैव	795.00	31.3.11	
		50/10-11	तदैव	1060.00	31.3.11	
		51/10-11	तदैव	530.00	31.3.11	
		52/10-11	मे० कुमार सर्विस स्टेशन	347.00	31.3.11	
		53/10-11	तदैव	208.00	31.3.11	
		54/10-11	मे० किसान डीजल इंधन विक्रेता	432.00	31.3.11	

			55 / 10-11	तदैव	370.00	31.3.11	
			56 / 10-11	तदैव	740.00	31.3.11	
			57 / 10-11	मे० अपूर्वा पेट्रो सेल्स	500.00	31.3.11	
			58 / 10-11	मे० किसान इंधन खुदरा विक्रेता	1110.00	31.3.11	
			59 / 10-11	मे० अजीत स्टेशनरी	120.00	31.3.11	
			60 / 10-11	मे० किसान डीजल	1110.00	31.3.11	
			61 / 10-11	तदैव	1110.00	31.3.11	
			62 / 10-11	मे० प्रभात स्टेशनरी स्टोर्स	1180.00	31.3.11	
			63 / 10-11	मे० भारत दीप डीजल	1000.00	31.3.11	
			64 / 10-11	श्री एस० एन० मिश्रा	1000.00	31.3.11	
			65 / 10-11	मे० भारत दीप	500.00	31.3.11	
			66 / 10-11	तदैव	500.00	31.3.11	
			67 / 10-11	तदैव	1000.00	31.3.11	
			68 / 10-11	मे० संजीव ऑटोमेटिक फोटो स्टोर्स	240.00	31.3.11	
				तदैव			
			69 / 10-11	मे० मिश्रा बुक बाइंडिंग लेखन सामग्री	120.00	31.3.11	
			70 / 10-11	तदैव	355.00	31.3.11	
				मे० मिश्रा बुक बाइंडिंग लेखन सामग्री			

			71/10-11	तदैव	500.00	31.3.11	
			72/10-11	श्री राम विलास राम	478.00	31.3.11	
				मे० प्रभात स्टेशनरी स्टोर्स			
			73/10-11	श्री राम विलास राम	435.00	31.3.11	
			74/10-11	स्टाम्प	250.00	31.3.11	
			75/10-11	मे० टूर ट्रेभेल्स कमन्यूकेशन फोटो	360.00	31.3.11	
			76/10-11	कॉपी	250.0	31.3.11	
			77/10-11	श्री राम विलास (सामग्री)	67.00	31.3.11	
			78/10-11	श्री प्रेम नारायण प्रसाद	120.00	31.3.11	
				श्री रघुनाथ सिंह		31.3.11	
			79/10-11	श्री जाकीर हुसैन	250.00	31.3.11	
			80/10-11	श्री ज्योतिन्द्र चौहान शिवम् फर्नीचर	250.00	31.3.11	
			81/10-11	मे० शाहीद इंजिनियरिंग वर्क्स	250.00	31.3.11	
			82/10-11	मे० लीला राम एवं अन्य	85.00	31.3.11	
			83/10-11	मे० गोनार दास एवं अन्य	5280.00	31.3.11	
				मे० अमीर दास एवं अन्य			
			84/10-11	मे० अशोक गल्ला भंडार	180.00	31.3.11	
			85/10-11	श्री महेश राम	8000.00	31.3.11	

			86/10-11	श्री अशोक कुमार सिंह ड्राइवर	13000.00	31.3.11	
			87/10-11	श्री रामनिवास राम पेट्रोल कीमत	38000.00	31.3.11	
			88/10-11	श्री श्रवण कुमार	267.00	31.3.11	
			89/10-11	मे० विजय ओटोमेटिक फोटो स्टोर	204.00	31.3.11	
			90/10-11	मे० सर्वोदय स्टेशनरी	1000.00	31.3.11	
			91/10-11		237.75	31.3.11	
			92/10-11		18.00	31.3.11	
			93/10-11		4.00	31.3.11	
			94/10-11		20.00	31.3.11	

कुल योग - 1,85,491.40

परिशिष्ट – “ड” कड़िका – 10 से संबंधित।

असमायोजित अग्रिम की विवरणी।

क्र०	प्राप्तकर्ता का नाम	अग्रिम की राशि	दिनांक	उद्देश्य
1.	श्री देवेन्द्र राम, सहायक चालक मोटर वोट	5000.00	18.11.10	निजी कार्य
2.	श्री अशोक कुमार, चालक मोटर वोट	5000.00	18.11.10	..
3.		6000.00	18.11.10	वोट मरम्मत
4.	श्री सुभाष चन्द्र सिन्हा, रा० कर्मचारी	3,15,250.00	31.3.12	बाढ़ राहत नगद वितरण
5.	श्री रामाकान्त पाण्डेय, रा० ..	9,00,000.00	..	..
6.	श्री द्वारिका राम रा० ..	6,96,250.00	..	..
7.	श्री बैजनाथ पटेल	6,05,000.00	..	..
8.	श्री दीप लाल यादव	8,00,000.00	..	..
9.	श्री अशोक कुमार, वोट चालक	20,000.00	..	वोट मरम्मत

33,52,500.00

परिशिष्ट - "च"

प्रतिवेदन की कड़िका - 11 से सम्बन्धित।

बिना प्राप्तकर्ता एवं न प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के भुगतान अभिश्रवों की विवरणी।

शीर्ष -2245 (अग्नि राहत) वर्ष -10-11

क्र०	विपत्र सं०/वर्ष	अभिश्रव सं०/वर्ष	पंचायत का नाम	पीड़ित परिवार का नाम	पिता का नाम/ पति का नाम	भुगतीत राशि	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	07 एवं 08 /10-11	01/10-11	राघोपुर पंचायत	1. वशिष्ठ राय 2. विगुन राय	चन्देश्वर राय चन्देश्वर राय	2250.00 2250.00 4500.00	1.7.10	अभिश्रव पर प्राप्तकर्ता का ह० एवं जनप्रति मुखिया, वार्ड पार्षद आदि का ह० नहीं पाया।
2.	..	02/10-11	तदैव	1. श्रीमति रानी देवी	पति मनोज सिंह	2250.00		

				2. „ धनबन्ती देवी	„ भुलेटन सिंह	2250.00		
				3. „ नगिया देवी	„ दुन बहादुर सिंह	<u>2250.00</u>		तदैव
						6750.00	1.7.10	
3.	„	20/10-11	मल्लिकपुर पंचायत	1. श्री शिव बालक राम	स्व० मिश्री राम	2250.00		
				2. „ रूदल राम				
				3. „ संजय राम	स्व० मिश्री राम	2250.00		
				4. „ अजय राम	शिव बालक राम	2250.00		तदैव
					शिव बालक राम	<u>2250.00</u>		
						9000.00	1.7.10	

कुल राशि रू० - 20,250.00

परिशिष्ट - "छ"

प्रतिवेदन की कंडिका -12 से सम्बन्धित।

जेनरेटर एवं सामियाना आदि के भुगतान किये गये अभिश्रवों की विवरणी - कुल रु0 65000.00

शीर्ष - 2245 (अग्नि पीडित) वर्ष - 10-11

क्र0	विपत्र सं0/वर्ष	अभिश्रव सं0/वर्ष	फर्म का नाम	सामान का प्रकार	राशि	कुल भुगतीत राशि	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	07,08 / 10-11	58 / 10-11	मे0 तवई एण्ड कारु साउन्ड सर्विस पंडाल जेनरेटर, चोंदपुरा, पूर्वीहाट, श्रीरामपुर दि0-14.5.10	1. जेनरेटर-1 सेट@1550/- 3 दिनों के लिए (1550x3) 2.सामियाना बड़ा-4@1250 / 3 दिनों के लिए (4x1250x3)	4650.00 15000.00 2400.00			दि0 14.5.10 को मल्लिकपुर पंचायत में (ग्राम-अनुपलटब्ध) घटित अग्निकांड में 56 प्रभावित परिवारों को अस्थायी रहने के लिए शामियाना, जेनरेटर एवं लाइट का प्रबन्ध किया गया जिसका भुगतान किया

				3. टेन्ट-4 पीस @200/ 3 दिनों के लिए (4x200x3) 4. सामान लाने ले जाने का भाड़ा	<u>350.00</u> 22400.00	22,000.00	8.7.10	पाया गया। (दि० 14.5.10 से दि०-19.5.10 तक के लिए)
2.	07,08 / 10-11	59 / 10-11	तदैव दिनांक-7.4.10	1. जेनरेटर-1 सेट@1550/- 3 दिनों के लिए (1550x3) 2. सामियाना बड़ा -4@1250/ 3 दिनों के लिए (4x1250x3) 3. टेन्ट-6 पीस @200/ 3 दिनों के लिए	4650.00 15000.00 3600.00			दि० 7.4.10 रूपस चिरैया पंचायत में (ग्राम-अनुपलब्ध) घटित अग्निकांड में 50 प्रभावित परिवारों को अस्थायी रहने के लिए शामियाना, जेनरेटर एवं लाइट का प्रबंध किया गया जिसका भुगतान किया पाया गया।

[illegible]

परिशिष्ट - "ज"

प्रतिवेदन की कंडिका -16 से सम्बन्धित

कुल रू0 38900.00 की विवरणी।

शीर्ष - 2245 (अग्नि कांड राहत) वर्ष -10-11

क्र0	विपत्र सं0/वर्ष	अभिश्चव सं0/वर्ष	पंचायत/ग्राम का नाम जहाँ अग्नि कांड हुआ, अग्नि कांड की तिथि	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम एवं गाड़ी सं0	भुगतीत राशि	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	7,8/10-11	37/10-11	पंचायत-रूपसपुर ग्राम-चिरैया तिथि-15.5.10	श्री राम बाबु भक्त जीप सं0- <u>BR01TA</u> 8261	2500.00	1.7.10	बचाव एवं राहत कार्य हेतु
2.	7,8/10-11	38/10-11	पंचायत-जुडावनपुर ग्राम-सिंगार लंका टोला तिथि - 17.5.10	तदैव	1500.00	1.7.10	बचाव एवं राहत कार्य हेतु

3.	7,8 / 10-11	39 / 10-11	—	श्री चनारिक राम गाड़ी सं०— <u>BR1Q</u> 3161	2550.00	1.7.10	दि०-24.4.10 को आग्ने कांड के लिए 50 क्विंटल गेहूँ बाजार समिति हाजीपुर से मोहनपुर गोदाम तक लाने का भाड़ा भुगतान किया पाया गया।
4.	7,8 / 10-11	40 / 10-11	—	श्री रघुनाथ भक्त गाड़ी सं०— <u>BR14/</u> 9745	2550.00	1.7.10	तदैव
5.	7,8 / 10-11	41 / 10-11	—	श्री मंजू पासवान गाड़ी सं०— <u>BR31B</u> 5271	2550.00	1.7.10	तदैव
6.	7,8 / 10-11	42 / 10-11	—	श्री विन्दु राय गाड़ी सं०— <u>BR31A</u> 4618	2550.00	1.7.10	तदैव

7.	7,8 / 10-11	43 / 10-11	—	श्री रघुनाथ भक्त गाड़ी सं०— <u>BR14</u> 9745	2550.00	1.7.10	दि०-11.5.10 को अग्निकांड के लिए 50 क्विंटल गेहूँ बाजार समिति हाजीपुर से मोहनपुर गोदाम तक लाने का भाड़ा भुगतान किया पाया गया।
8.	7,8 / 10-11	44 / 10-11	—	श्री चनारिक राम गाड़ी सं०— <u>BR1Q</u> 3161	2700.00	1.7.10	तदैव
9.	7,8 / 10-11	45 / 10-11	—	श्री मंजू पासवान गाड़ी सं०— <u>BR31B</u> 5271	2550.00	1.7.10	तदैव
10.	7,8 / 10-11	46 / 10-11	—	श्री विन्दू राय गाड़ी सं०— <u>BR31A</u> 4618	2550.00	1.7.10	दि०-23.4.10 को अग्निकांड के लिए 50 क्विंटल गेहूँ बाजार समिति हाजीपुर से

मोहनपुर गोदाम तक							
लाने का भाड़ा भुगतान							
किया पाया गया।							

योग -	24550.00
-------	----------

परिशिष्ट - 'च' कंडिका - 14 से संबंधित।

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	7,8 / 10-11	47 / 10-11	—	श्री मंजू पासवान गाड़ी सं०- <u>BR31B</u> 5271	2550.00	1.7.10	दि०-23.4.10 को अग्निकांड के लिए 50 क्विंटल गेहूँ बाजार समिति हाजीपुर से मोहनपुर गोदाम तक लाने का भाड़ा भुगतान किया पाया गया।
12.	7,8 / 10-11	48 / 10-11	—	श्री रघुनाथ भक्त गाड़ी नं०- <u>BR14</u> 9745	2550.00	1.7.10	तदैव
13.	7,8 / 10-11	49 / 10-11	—	श्री बलम राय गाड़ी सं०- अपठनीय	2550.00	1.7.10	तदैव
14.	7,8 / 10-11	50 / 10-11	—	श्री चनारिक राय गाड़ी सं०- <u>BR1Q</u> 3161	2550.00	1.7.10	तदैव

15.	7,8 / 10-11	51 / 10-11	पंचायत-मल्लिकपुर ग्राम-सैदापुर तिथि-13.5.10	श्री राम बाबू भक्त जीप सं०- <u>BR01TA</u> 8261	700.00	1.7.10	बचाव एवं राहत कार्य हेतु।
16.	7,8 / 10-11	52 / 10-11	—	श्री रामबाबू पासवान ट्रेक्टर सं०- <u>BR1</u> 8261	500.00	1.7.10	ग्राम पंचायत मल्लिकपुर में दि०-13.5.10 को घटित अग्निकांड में पोलीथीन सीट वितरण करने हेतु ग्रा० पंचायत मोहनपुर गणेश प्रसाद डीलर से मल्लिकपुर पहुँचाने हेतु भाड़ा का भुगतान किया पाया गया।
17.	7,8 / 10-11	53 / 10-11	—	श्री अशोक राम ट्रेक्टर सं०-UP32Z/7248	2950.00	1.7.10	दि०-अनुपलब्ध/राघोपुर अंचल अन्तर्गत अग्नि पीड़ितों को पोलीथीन सीट का उठाव हेतु 500 पीस यानि 10 (दस) बैग

							हाजीपुर से राघोपुर ले जाने हेतु भाड़ा का भुगतान किया पाया गया।
--	--	--	--	--	--	--	--

कुल राशि - 38900.00